

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-8)

क्रमांक :- प 2(3)ग्रावि/अनु.8/2015

जयपुर, दिनांक :- 06-05-2015

संशोधित बैठक सूचना

निर्देशानुसार लेख है कि माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा निम्न जिलों में विभाग की सभी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जायेगी। उक्त दौरों में निम्नानुसार अधिकारी भी सम्मिलित होंगे :-

- 1 प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग। (जिला प्रभारी सचिव के रूप में पाली जिले की बैठक में भाग लेने हेतु)
- 3 महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 4 शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
- 5 शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
- 6 आयुक्त, महानरेगा।
- 7 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 8 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 9 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 10 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 11 परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 12 जिला प्रभारी

जिलों में बैठक कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	दिनांक	स्थान
1	8 एवं 9 मई, 2015	पाली
2	15 एवं 16 मई, 2015	राजसमन्द
3	22 एवं 23 मई, 2015	दौसा
4	29 एवं 30 मई, 2015	नागौर

जिलों में कार्यक्रम-प्रथम दिवस :-

क्र.सं.	समय	विवरण	प्रतिभागी	एजेण्डा
1	10.00 से 12.00 बजे तक	जनप्रतिनिधिगण के साथ चर्चा।	माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, जिला प्रमुख, प्रधान, जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला स्तरीय अधिकारी (केवल पाली जिले के लिए) एवं विकास अधिकारीगण,	पाली जिला -- जिले की प्रगति पर चर्चा शेष अन्य जिले -- ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की योजनाओं पर चर्चा
2	12.00 से 2:00 बजे तक	विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा	जिला कलक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विकास अधिकारीगण तथा जिले के योजना प्रभारी	ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समस्त योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। संलग्न
3	2.00 से 3.00 बजे तक	लंच ब्रेक	-	


4	3.00 से 6.00 बजे तक	फील्ड विजिट	संबंधित अधिकारी	
रात्रि विश्राम				
<u>द्वितीय दिवस:-</u> माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार				

प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग पाली जिले के प्रभारी सचिव के रूप में दिनांक 8 एवं 9 मई 2015 की केवल पाली जिले की बैठक में भाग लेंगे।

पाली जिले की बैठक (8 व 9 मई 2015) में समस्त जिला स्तरीय अधिकारी अपने विभागीय योजनाओं की अध्यतन सूचनाओं के साथ बैठक में भाग लेंगे।


उक्त बैठक का आयोजन एवं समन्वय आदि का दायित्व परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास एवं अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय) का होगा।

भवदीय


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 2 निजी सचिव, सचिव (प्रथम/द्वितीय), मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं. राज विभाग।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 5 निजी सचिव, महानिदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान।
- 6 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
- 7 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज।
- 8 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग।
- 9 निदेशक, मिड-डे-मील।
- 10 निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण।
- 11 जिला कलेक्टर, जिला परिषद दौसा/पाली/राजसमन्द/नागौर
- 12 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद दौसा/पाली/राजसमन्द/नागौर को प्रेषित कर लेख है जिला/खण्ड स्तरीय समस्त अधिकारियों का बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे, बैठक हेतु आवश्यक सूचनाएं तैयार करेंगे एवं बैठक आयोजन संबंधि समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
- 13 अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन द्वितीय), पंचायती राज।
- 14 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास।
- 15 जिला प्रभारी, मुख्यालय, जयपुर।
- 16 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

बैठक का एजेण्डा

- ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएं।
- पंचायती राज की समस्त योजनाएं।
- महात्मा गांधी नरेगा योजना।
- जलग्रहण एवं भू-संरक्षण।
- मिड-डे-मील।
- आजीविका परियोजनाएं।
- आईजीपीआरएस।